न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 नीलम सुलभ जैन, आर0जे0एस0

निर्णय दिनांक – 04.07.2026

मुकदमा नम्बर – 464/2021 (सी.आई.एस नं. 925/2021)

एफआईआर नम्बर – 75/2021, पुलिस थाना सांभर

परिवादी	राजस्थान सरकार
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्ता	बिरदाराम पुत्र श्री धन्नाराम उम्र 38 साल निवासी काल्या थाना सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण।
अभियुक्ता अधिवक्ता	श्री जयन्त चौधरी

ख

अपराध का दिनांक	09.06.2021
एफ.आई.आर. की दिनांक	09.06.2021
आरोप पत्र का दिनांक	22.10.2021
आरोप विरचना का दिनांक	18.01.2023
साक्ष्य आरम्भ का दिनांक	20.12.2023
दिनांक, जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	–
निर्णय का दिनांक	04.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई, का दिनांक	–

गः **अभियुक्तगण विवरण**

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहाई का दिनांक	आरोपित अपराध या दोषसिद्धि	क्या दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि
1.	बिरदाराम	09.06.2021	10.06.2021	धारा 19/54 राज0 आबकारी	दोषमुक्त	–	–

भाग – 2

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	महादेव प्रसाद	समर्थन साक्षी

2.	मोहनलाल	परिवादी
3.	रतनलाल	समर्थन साक्षी
4.	रोहिताश कुमार	समर्थन साक्षी
5.	हनुमान	समर्थन साक्षी
6.	कैलाशचंद	समर्थन साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

अनु. क.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	मालखाना रजिस्टर असल
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द जब्ती
3.	प्रदर्श पी 3	फर्द गिरफतारी मुलजिम
4.	प्रदर्श पी 4	घटना की रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी 5	चाक एफआईआर
6.	प्रदर्श पी 6	नक्शा मौका घटनास्थल
7.	प्रदर्श पी 7	एफएसएल रिपोर्ट
8.	प्रदर्श पी 8	मुलजिम का आपराधिक रिकोर्ड
9.	प्रदर्श पी 9 व 10	रोजनामचा रिपोर्ट आमद रवानगी

निर्णय दिनांकः— 04.07.2026

01. यह आरोप पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना सांभरलेक की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त बिरदाराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण प्रारंभ किया गया।

02. संक्षेप मे अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं कि दिनांक 09.06.2021 को मोहनलाल उसनि मय जाप्ता वास्ते निगरानी बदमाशान हेतु रवाना होकर गश्त करते हुए कस्बा सांभर श्यामी की ढाणी गोपालपुरा अटलपुरा करता हुआ समय 11:30 एएम पर हबसपुरा पहुंचा जहां पर मुखबीर खास ने सूचना दी कि काल्या मोड पर एक आदमी जिसने सफेद रंग की शट व काले रंग की पेन्ट पहन रखी है जो कागज के गत्ते के कार्टून में शराब लेकर जा रहा है। उक्त ईतला से मन आईसी थाना ने हमराही जाप्ते को अवगत करवाया एवं वहां से रवाना होकर समय 12.20 पी.एम. पर काल्या मोड पहुंचा जहाँ पर मुखबीर के बताये अनुसार एक आदमी काल्या मोड सडक के किनारे बैठा हुआ मिला जो बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको मन आईसी थाना ने मय जाप्ता की मदद से घेरा देकर रोका एवं चैक किया तो उसके पास

मिले एक गत्ते के कार्टून को खोलकर देखा गया तो उसमे देशी व अंग्रेजी शराब भरी हुयी मिली। उक्त शक्स से देशी व अंग्रेजी शराब रखने व परिवहन बाबत लाईसेन्स के बारे मे पुछा तो अपने पास शराब रखने व परिवहन बाबत लाईसेंस नही होना बताया जिस पर उक्त कागज के कार्टून को खोलकर चैक किया तो उसमें अवैध देशी शराब के 45 पव्वे थे जिनमे शराब भरी हुई थी जिनके सभी के नीले रंग का ढक्कन लगा हुआ है तथा घूमर देशी शराब का लेबल लगा हुआ था एवं 05 बीयर बोतल कम्पनी बुलेट मिली। उक्त शक्स को उसका नाम पता पुछा तो अपना विरदाराम पुत्र धन्नाराम जाति रेगर उम्र 38 साल निवासी काल्या थाना सांभरलेक जिला जयपुर होना बताया जिसने बिना लाईसेंस के अपने कब्जे मे अवैध देशी व अंग्रेजी शराब रखी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना सांभरलेक में एफ.आई.आर. संख्या 189/2022 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। आवश्यक अनुसंधान करने के पश्चात् अभियुक्त शंकरलाल के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा बाद प्रसंज्ञान प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त बिरदाराम को दिनांक 18.01.2023 को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त शंकरलाल ने उक्त आरोप को सुन व समझ कर अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. तदन्तर अभियोग को समस्त संदेहो से परे सिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 01 महादेव प्रसाद, पी0डब्ल्यू0 02 मो. हनलाल, पी0डब्ल्यू0 03 रतनलाल, पी0डब्ल्यू0 04 रोहिताश कुमार, पी0डब्ल्यू0 05 हनुमान, पी0डब्ल्यू0 06 कैलाशचंद को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श पी 1 मालखाना रजिस्टर असल, प्रदर्श पी 2 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी 3 फर्द गिरफतारी मुलजिम, प्रदर्श पी 4 घटना की रिपोर्ट, प्रदर्श पी 5 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी 6 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी 7 एफएसएल रसीद, प्रदर्श पी 8 मुलजिम का आपराधिक रिकोर्ड, प्रदर्श पी 9 व 10 रोजनामचा रिपोर्ट आमद रवानगी को प्रदर्शित कराया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य समाप्त हाने पर अभियुक्त को धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत परीक्षित करने पर उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये उसे झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया।

06. अभियुक्त ने जमानत मुचलके अन्तर्गत धारा 481 बीएनएसएस पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये।

07. बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतः संदेह से परे साबित होते है अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08. अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस तर्क रहा है कि अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है तथा प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाह भी

पुलिसकर्मी हैं जिनके हितबद्ध होने की संभावना है। अतः अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियोजन का मामला साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

09. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

1– क्या दिनांक 09.06.2021 को समय 12:20 पीएम पर काल्या मोड सडक के किनारे अभियुक्त बिरदाराम के अनन्य व चेतन्य कब्जे से 45 पव्वे देशी शराब एवं 05 बीयर बोतल कम्पनी बुलेट के बरामद हुई जिसको अपने कब्जे में रखने व विक्रय करने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ?

2– यदि हां तो अभियुक्त को उसके कृत्य की क्या सजा दी जाये ?

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में पी0ड0–1 महादेव प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि दिनांक 09.06.2021 की बात है उस दिन वे थाना सांभर मे मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। उस दिन श्री मोहनलाल एएसआई ने एफआईआर नंबर 75/21 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट मे जप्तशुदा सीलशुदा एक बीयर की बोतल मार्का ए, एक पव्वा सीलशुदा मार्का बी, नमूना सैम्पल व चार बीयर बुलट व 44 पव्वे घूमर देशी शराब के जो प्लास्टिक के कट्टे मे सीलमोहर थे, उनके सुपुर्द किया जिसको उनके द्वारा मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। उक्त सैम्पल को उन्होने दिनांक 09.07.2021 को एफएसएल जमा कराने हेतु कांस्टेबल रोहताश को दिया जिन्होने एफएसएल जमा कराकर प्राप्ति रसीद लाकर उन्हे दी जिसको उन्होने आईओ के सुपुर्द की। मालखाना रजिस्टर असल प्रदर्श पी 01 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 1ए है जो शामिल पत्रावली है। जिरह में कथन किया है कि तीनो मार्का मुझे सीलशुदा दिये थे। सैम्पल तो ए, बी थे तीसरा पैकेट सैम्पल नही था। सिर्फ सैम्पल ही एफएसएल भेजे थे। मार्का सी माल भी सील मोहर युक्त ही था।

11. गवाह पी०डब्ल्यू०–02 मोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वे दिनांक 09.06.21 को थाना सांभर में एएसआई के पद पर तैनात थे। उस रोज वे, कानि रतनलाल, कानि हनुमान, मय प्राइवेट वाहन थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए 11.30 एएम पर हबसपुरा पहुचें जहां पर जरिए मुखबिर इतला मिली कि काल्या मोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। इस इतला पर 12.20 पीएम पर हम काल्या मोड पहुचें जहां पर एक व्यक्ति सडक के पास एक गत्ते का कार्टून लिए बैठा दिखा जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसको जाब्ता की मदद से घेरा देकर पकडा व कार्टून को चैक किया तो उसमें 45 पव्वे अवैध देशाी शराब के भरे थे तथा 5 बीयर बुलेट की मिली जिसको रखने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो नही होना बताया। शख्स का नाम पूछा तो अपना नाम बिरदाराम पुत्र धन्नाराम रैगर निवासी काल्या पीएस सांभर होना बताया। मौके पर ही बरामद शराब व बीयर में से नमूना सैम्पल

अलग कर शराब व सैम्पल को सीलमोहर किया व व जरिए फर्द प्रदर्श पी 2 जब्त किया, जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुल्जिम बीरदाराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी 3 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर हैं। बाद कार्यवाही थाने पर आकर माल को जमामालखाना करवाया व मुल्जिम को बंद हवालात किया तथा मुकदमा नं 75/21 अतंर्गत धारा 19/54 दर्ज कर तफ्तीश कैलाशचंद एएसआई को दी। मजमून रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 बनाई जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 5 है जिस पर भी ए से बी उनके हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि जब हम मौके पर गए तब सील मोहर हमारे साथ थी। पहले व्यक्ति को पकडा उसके बाद माल जब्त किया व उसके बाद गिरफ्तार किया। व्यक्ति के पास जो माल था वह ठेके का था या नही इसकी हमने कोई जानकारी नही की।

12. गवाह पी०डब्ल्यू०–03 रतनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वे दिनांक 09.06.21 को थाना सांभर में कानि. के पद पर तैनात थे। उस रोज वे व मोहन लाल एएसआई, कानि हनुमान, मय प्राइवेट वाहन थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए 11.30 एएम पर हबसपुरा पहुचे जहां पर जरिए मुखबिर इतला मिली कि काल्या मोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। इस इतला पर 12.20 पीएम पर हम काल्या मोड पहुचें, जहां पर एक व्यक्ति सडक के पास एक गत्ते का कार्टून लिए बैठा दिखा जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको जाब्ता की मदद से घेरा देकर पकडा व कार्टून को चैक किया तो उसमें 45 पव्वे अवैध देशी शराब के भरे थे तथा 5 बीयर बुलेट की मिली जिसको रखने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो नही होना बताया। शख्स का नाम पूछा तो अपना नाम बिरदाराम पुत्र धन्नाराम रैगर निवासी काल्या पीएस सांभर होना बताया। मौके पर ही बरामद शराब व बीयर में से नमूना सैम्पल अलग कर शराब व सैम्पल को सीलमोहर किया व व जरिए फर्द प्रदर्श पी 2 जब्त किया, जिस पर सी से डी उनके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुल्जिम बिरदाराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी 3 गिरफ्तार किया, जिस पर सी से डी उनके हस्ताक्षर हैं। बाद कार्यवाही थाने पर आकर माल को जमामालखाना करवाया व मुल्जिम को बंद हवालात किया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि हम थाने से 9 एएम पर निकल थे। शराब का कार्टून पहले किसने पकडा था मुझे याद नही । मैंने काटॅून को देखा था खोला नही था। पहले हमने कॉटून जब्त किया उसके बाद गिरफ्तार किया, माल मिलने का समय 12 से 1 बजे दिन का रहा होगा। जब्ती पर सील मोहर मौके पर ही किया था। नक्शा मौका बनाने कौन कौन गए थे हनुमान जी व मैं गए थे, आईओ कौन था पता नही । मैं प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी नही था।

13. गवाह पी०डब्ल्यू०–04 रोहिताश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वे दिनांक 09.07.2021 को थाना सांभरलेक में सिपाही के पद पर तैनात थे। उस रोज एचएम मालखाना ने एफआईआर नंबर 75/21 अंतर्गत धारा 19/54 में जब्तशुदा एक बीयर की बोतल व एक देशी शराब का पव्वा सिलशुदा एफएसएल कार्यालय, जयपुर में जमा करवाने हेतु मेरे सुपुर्द किया जिसको

उन्होने उसी रोज उसी हालत में एफएसएल कार्यालय जयपुर में जमा करवा दिया एवं प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 07 लाकर थाने में एचएम मालखना को दे दिया। जिरह में कथन किया है कि मेरे को एफएसएल जमा करवाने की श्रीमान एसपी कार्यालय से जारी की गयी अग्रेषण पत्र व प्रकरण में जब्तशुदा माल जमा करवाने के लिए एचएम मालखाना ने दिया था जिसको मय अग्रेषण पत्र ले जाकर एफएसएल जयपुर में जमा करवा दिया था। फाईल में मेरे को अग्रेषण पत्र तहरीर दी वो मौजूद है या नही मुझे नही पता। माल जमा की रसीद की रसीद लाकर थाने पर दे दी थी। फाईल देखकर बताया की अग्रेषण तहरीर फाईल में मौजूद नही है।

14. गवाह पी०डब्ल्यू०–05 हनुमान ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वे दिनांक 09.06.2021 को थाना सांभरलेक में कानि0 के पद पर तैनात थे। उस रोज आईओ मोहनलाल एएसआई व रतनलाल कानि0 के साथ मय प्राइवेट वाहन के थाने से गश्त करते हुए हबसपुरा पहुचे वहां पर मुखबिर से इतला मिली कि काल्या मोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है इस इतला पर 12.20 पीएम पर काल्या मोड पहुचे तो एक व्यक्ति सडक के पास गत्ते का कॉर्टून लेकर बैठा था जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसको घेरा देकर पकडा व कॉर्टून को चैक किया तो उसमें 45 पव्वे अवैध देशी शराब के भरे हुए थे व पांच बियर की बोतल मिली जिनको रखने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त शख्स को अपना नाम पता पूछा तो अपना नाम बिरदाराम रैगर निवासी काल्या मोड होना बताया। मौके से ही बरामद शराब व बीयर के नमूना सैम्पल लेकर सील्ड मोहर किया तथा अवैध शराब को व बीयर की पांच बोतलो को जरिये फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 है, जिसपर ई से एफ उनके हस्ताक्षर है। मुल्जिम बिरदाराम को गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 है, जिसपर ई से एफ उनके हस्ताक्षर है। बाद कार्यवाही थाने पर आकर माल को जमा मालखाना करवाया तथा मुल्जिम को बंद हवालात किया। अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 11.06.2021 को घ ाटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया, जो प्रदर्श पी 06 है, जिसपर सी से डी उनके हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके घरवालों को आईओ ने दी थी। मेरे द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया।

15. गवाह पी०डब्ल्यू०–06 कैलाशचंद ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वे दिनांक 09.06.2021 को थाना सांभरलेक मे एएसआई के पद पर कार्यरत थे।उस दिन मोहनलाल एएसआई ने मु0नं0 75/21 धारा19/54 एक्साईज एक्ट दर्ज कर तफतीश उनके जिम्मे की गयी। पर्चा कायमी प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी एएसआई मोहनलाल के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मोहनलाल एएसआई के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी मोहनलाल व सी लगायत एफ गवाहान के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुलजिम का अंगूठा निशानी है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी मोहनलाल के व सी लगायत एफ गवाहान के व एक्स सथान पर नमूना सील अंकित है। वाई स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। प्रदर्श पी 07 एफएसएल रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। गवाह

मोहनलाल, हनुमान, रतनलाल के बयान के कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रदर्श पी 08 मुलजिम का आपराधिक रिकोर्ड शामिल पत्रावली किया गया जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। दौराने तफतीश घटनास्थल का मौका मुआयना कर परिवादी व गवाहान की उपस्थिति मे फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया गया, जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए लगायत एफ गवाह परिवारी के हस्ताक्षर है। जी से एच उनके हस्ताक्षर है। पृष्ठांकन पर आई से जे नक्शा मौका बिंदु हालात अंकित है। प्रदर्श पी 09 व पी 10 रोजनामचा रिपोर्ट आमद रवानगी की प्रमाणित प्रति है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 01ए मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति है जिस पर ए से बी एचएम मालखाना के हस्ताक्षर है। संपूर्ण तफतीश कर मुलजिम बिरदाराम के विरूद्ध धारा 19/54 का अपराध प्रमाणित पाया गया। पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की गयी जिनके द्वारा उक्त धारा मे उक्त मुलजिम के विरूद्ध चालान न्यायालय मे पेश किया गया। चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर थानाधिकारी राजीव कुमार के हस्ताक्षर है, जिनको वे अधीनस्थ रहने के कारण पहचानते है। जिरह में कथन किया है कि गिरफतारी मेरे द्वारा नहीं की गई, मोहनलाल द्वारा की गयी थी। मैने किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये थे। मुलजिम को घटना के दिन ही गिरफतार कर लिया था। जो शराब जब्त की थी वह शील्डशुदा अवस्था में थी।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या–1</u>

16. पत्रावली पर आई उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाह परीक्षित कराये गये, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी0ड0 01 महोदव प्रसाद जिनके द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.06.2021 को एफएसएल जमा करान हेतु कांस्टेबल रोहिताश को सैम्पल दिया गया। अभियोजन की ओर से सैम्पल को जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 7 है परंतु अभियोजन के द्वारा एफएसएल नतीजा का संबंधित पदार्थ के संबंध में क्या रहा, वह पत्रावली पर नहीं है। धारा 294 सीआरपीसी की प्रफोर्मा का ऐसा कोई दस्तावेज काम का नही है जिससे यह जाहिर है कि अभियोजन के द्वारा एफएसएल नतीजा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हो। जिससे यह जाहिर हो कि जब्तशुदा पदार्थ आबकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान के अंतर्गत आता हो, जिससे कार्यवाही करने का लाईसेंस अभियुक्त पर दिनांक 09.06.2021 को प्राप्त नहीं होने के कारण समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई। उक्त कमी अभियोजन की ओर से की गई है जो कि तकनीकी खामी के कारण अभियोजन साक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से गंभीर क्षति करती है। गवाह पी0ड0 02 मोहनलाल, पी0ड0 3 रतनलाल, पी0ड0 4 रोहिताश, पी0ड0 5 हनुमान औपचारिक गवाह है। गवाह पी0ढ0 02 मोहनलाल व पी0ड0 3 रतनलाल के द्वारा शराब के संबंध में कोई सम्पुष्टिकारक तथ्य न्यायालय के समक्ष नही किए है। पी0ड0 04 रोहिताश के द्वारा जब्तशुदा बियर की बोतल एवं एक देशी शराब का पव्वा जमा करवाया गया, जिसकी रसीद अभियोजन ने प्रदर्शित करवाई गई परंतु मालखाना इंचार्ज की ओर से जो प्रतिबंधित पदार्थ कांस्टेबल रोहिताश को दिया गया उसके संबंध में रजिस्टर की असल प्रति प्रदर्श पी 01 में यह अंकित नहीं है कि दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 09.07.2021 तक एक माह के अंतराल में उक्त पदार्थ से कोई छेड़छाड़

नही की गई हो। अभियोजन की ओर से जब्तशुदा शराब को सील मोहर होने का कथन है परंतु नमूना सील एफएसएल हेतु भेजी गई, ना ही आई0ओ0 के द्वारा ऐसा कोई कथन न्यायालय के समक्ष किया गया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य की कड़ी स्वत ही टूट जाती है। पत्रावली पर एफएसएल रिपोर्ट का नहीं होना जब्तशुदा पदार्थ पर नमूना सील की छाप का एफएसएल सत्यता हेतु प्रेषित नहीं करवाना अभियोजन को गंभीर क्षति कारित करता है एवं अभियोजन एवं अनुसंधान अधिकारी की स्पष्ट लापरवाही को दर्शित करता है। ऐसे में जब कि एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर संलग्न नहीं है, ऐसे में प्रतिबंधित पदार्थ के शराब होने की पुष्टि संदिग्ध हो जाती है। ऐसे में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

17. इस प्रकार अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि दिनांक 09.06.2021 को समय 12:20 पीएम पर काल्या मोड सडक के किनारे अभियुक्त बिरदाराम के अनन्य व चेतन्य कब्जे से 45 पव्वे देशी शराब एवं 05 बीयर बोतल कम्पनी बुलेट के बरामद हुई जिसको अपने कब्जे में रखने व विक्रय करने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस अभियुक्त के पास नही होने से अभियुक्त ने राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 का अपराध कारित किया। परिणामतः अभियुक्त आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घ ोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

18. परिणामतः अभियुक्त बिरदाराम पुत्र श्री धन्नाराम उम्र 38 साल निवासी काल्या थाना सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण। को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

20. प्रकरण में जब्तशुदा शराब बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की दशा में नियमानुसार निस्तारित की जावे।

(डॉ0 नीलम सुलभ जैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

21. यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 नीलम सुलभ जैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर